कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, (पलामू)।

अभिलेख वाद सं0 384/2016-17

वाद का प्रकार :– **बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।**

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
25/1/23	अभिलेख उपरथापित । झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सह–पठित– श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विषेश सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक सं0–3 खा0म0निति 119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा0, दिनांक 15.07.2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म............ ....) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा [illegible]............थाना नं0 334.0......खाता सं0 49, 20, 34...प्लॉट सं0 — ....रकबा...... 5.23¼ एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म......................अनाबाद बिहार /झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द सं0.......................के पृष्ट सं0 154/4....पर जमाबंदी रैयत [illegible] S/o [illegible]..............के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रविवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रविवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर/ सादाहुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख, दिनांक 25/3/24 ....को उपरथापित करें। [signature] 25/3/24 अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	

अभिलेख उपस्थापित ।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में कोई [illegible] समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख, दिनांक 25/4/24 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित ।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा [illegible] मौजा नं0 340 खाता सं0 99, 20, 34 प्लॉट सं0 — रकबा 5.23 1/4 किस्म [illegible] खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि [illegible] 99, 2034 [illegible] 5.23 1/4 [illegible] 15.4.14 [illegible] 99 [illegible] 34 [illegible] 20 [illegible] 2004 [illegible] 99, 34 [illegible] तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष............तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार(झारखण्ड)भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी–II में कायम जमाबंदी सं0............को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल रूप में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्त्ता, पलामू को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक—लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम – पलामू, छत्तरपुर, 384/2016-17

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एंव भूमि का विवरण :— 154/4

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकवा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
जुमराती खलीफा S/O नीयामत खलीफा	मड़वा	340	99	–	5.23½	गैरमजरूआ मालिक	पंजी II में
			20	–	–	रैयति	लॉटस में दर्ज नहीं रहने के कारण किस्म नहीं लिया जा सका
			34	–		गैरमजरूआ मालिक	

3. भूमि का वर्त्तमान स्वरूप :— भूमि का वर्तमान स्वरूप परती है।

4. अवैध जमाबंदी पंजी—II में कब से संधारित है? :— चालु पंजी II में परिविम के लिए प्राधिकार कालम में "जमाबंदी दर्ज होने का वर्ष दर्ज नहीं है।

5. उक्त जामबंदी पंजी—II में दर्ज करने वाले कर्मचारी / पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी / कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पत्ता कर उल्लेखित करें) :— चालु पंजी II में मांग दर्ज करने वाले कर्मचारी/ पदाधिकारी का हस्ताक्षर/नाम अंकित नहीं है —

6. नामान्तरण / दाखिल – खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :— परिवर्तन के लिए प्राधिकार कालम में उल्लेख नहीं है।

7. अवैध जमाँबंदी कायम किये जाने का आधार :— चालु पंजी II में परिवर्तन के लिए प्राधिकार कालम में दर्ज नहीं है।

(क) अनिबंधित ,सादा हुकुमनामा :—

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एंव पारित अदेशानुसार) :—

(ग) अवैध भू—बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :—

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा—कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100 / —रूपये से कम या इससे अधिक) :— — N/A —

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :–

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से :–

(ख) अंचल / अनुमंडल में संधारित पंजी से :–

(ग) दाखिल–खारिज / भू–हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :–

अंचल कार्यालय मे उपलब्ध चालु पंजी II से

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व से कायम है :–

(ख) क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल–दर–साल निर्गत है? :–

पंजी II मे जमाबंदी कायम किए जाने का वर्ष दर्ज नही है।

11. क्या दिनांक–01.01.1946 के बाद से 1955–56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :– नही

12. वर्ष 1954–55 में हुए फिल्ड –बुझारत पंजी में दखल–कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :– नही

13. राजस्व उप–निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :–

महाशय, प्रतिवेदित भूमि का मांग मौजा मारपा के खाता स० संयुक्त रूप से 99,34,20 पंजी II मे लॉट दर्ज नही कुल रकबा 5.23 ¾ ए० का मांग जुमराती खलीफा पिता मीरबक्स खलीफा के नाम से 154/4 पर दर्ज है खाता स० 99 एवं 34 गैरमजरुआ खाता एवं खाता स० 20 कायमी लगान पाने वाले खाते की भूमि है। अंचल कार्यालय से मांगधारी/वंशजो को 4(h) नोटिस का तामिला कराया गया। नोटिस तामिला के निर्धारित तक आवेदक द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि मांगधारी/वंशजो द्वारा भूमि प्राप्ति के संबंध मे कोई दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया है। दस्तावेज के अभाव मे मांगधारी को गैरमजरुआ जमिन किस आधार पर प्राप्त हुआ है यह स्पष्ट नही हो पा रहा है और न, ही चालु पंजी II मे मांग कायम किए जाने का आधार दर्ज नही है ऐसि स्थिती मे यह मांग अवैध प्रतित होता है अतः संयुक्त मांग की खाते से खाता स० 20 (कायमी खाता) को यथावत रखते हुए शेष खाता स० 99 एवं 34 (गैरमजरुआ खाते) की भूमि को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :–

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, सही पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	भूमि–सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर।	अनुमण्डल पदा०, छत्तरपुर।	अपर समाहर्त्ता, पलामू।	उपायुक्त, पलामू।

संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– मुमराती खलीफा S/O नियामत खलीफा

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या ......4...... पृष्ठ सं. ...154... पर कायम है

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकवा
मड़वा	340	99	–	5.22 1/4
		20	–	कुल
		34	–	

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :– पंजी II मे दर्ज नही है।

4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– खाता सं० 99, 34 गैरमजरूआ मालिक एवं खाता सं० 20 काश्त लगान पाने वाला खाता।

5. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :– पंजी मे दर्ज नही है।

6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार जमाबंदी कायम किए जाने का आधार दर्ज नही है।
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भू–बंदाबस्ती) :–

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न/ बंदोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू–हस्तांतरण पंजी) :–

अंचल कार्यालय मे उपलब्ध चालू पंजी II से।

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :–

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	478812	10.11.1985	1985-86
/	/	/	/

[signatures]

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)। 154/4

वाद अभिलेख सं0 384 / 20 16-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950

सूचना

बनाम गुमशानी खलीफा

पिता – पीर बक्स खलीफा

ग्राम – मझवा

एतद द्वारा आपको सूचित कया जाता है कि मौजा मझवा थाना नं0...... खाता सं0 99 खेसरा नं0 2034 रकबा 5.23 से संबंधित आपके नाम से ह0 नं0 VIII के पंजी–II भाग .... के पृष्ठ .... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 07/02/2023 को समय 11:00 बजे पूर्वाहन में उक्त भूमि का रिटर्न–1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहूँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

(मुहर: कार्यालय अंचल पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू)

25/01/23

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

अभिलेख सं० 384 / 2016-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950

सूचना

जुमराती खलिफा, पिता परिबख्श

खलिफा, ग्राम मड़वा थाना छत्तरपुर

जिला - पलामू

एतद द्वारा आपको सूचित कया जाता है कि मौजा मड़वा थाना नं0......

खाता नं0 99 खेसरा नं0 2034 रकबा 5.23 से संबंधित आपके नाम से

ह0 नं0 ...... के पंजी-II भाग .... के पृष्ठ .... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 29.02.2024 को समय 11. बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

स्मरण रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में प्रविष्टि-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा ...... इसे सरकार ...... किया जायेगा।

(मुहर: कार्यालय अंचल पदाधिकारी)

23.2.24

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

Digitally signed by NITYA NAND PRASAD
Date: 2024.05.16 15:51:45 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:2810:20fa:67c5:4148